nt>
Title: Disapproval of Representation of People (Amendment) Ordinance, 1998 (No.12 of 1998) and Representation of People (Amendment) Bill,1998. Statutory Resolution - Withdrawn Motion for Consideration - adopted

MR. CHAIRMAN : Now we will take up next items 28 and 29. Shri Basu Deb Acharia.

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): I beg to move:

"That this House disapproves of the Representation of the People (Amendment) Ordinance, 1998 (No.12 of 1998) promulgated by the President on 24 April, 1998."

The Ordinance was promulgated in the month of December, 1997 because of Supreme Court judgment in regard to requisition of the employees of public sector undertakings for election duty.

Madam, the Ordinance was first promulgated in December. Then, again, it was re-promulgated in the month of April although there was a scope to replace the Ordinance by a Bill...(Interruptions)

MAJOR GENERAL BHUVAN CHANDRA KHANDURI, AVSM (GARHWAL): When?

... (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : एक दिन क्यों। आप कर सकते थे।

... (व्यवधान)

सभापति महोदय : बसुदेव दा को कोई डिस्टर्ब मत कीजिए, ऐसे ही काफी समय लगता है।

... (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : जब इतना जरूरी था तो जब मौका था, स्कोप था, सैशन भी बुलाया था, वोट ऑफ कौन्फीडैंस के बाद हम दो दिन बैठे थे, उस समय यह आर्डिनैंस लाया जा सकता था, रिप्लेस हो सकता था, बिल लाया जा सकता था, हम पास कर सकते थे। लेकिन सरकार ने नहीं किया। फिर जरूरत हुई तो आर्डिनैंस लाए। इस सैशन के बीच में सरकार को कम से कम नौ आर्डिनैंस लाने पड़े। ऐसा आर्डिनैंस, जो पहले जारी किया गया था, फिर आर्डिनैंस जारी करना पड़ा।

... (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुरानाः पहला सैशन तो कौन्फीडैंस मोशन का था। जब तक कौन्फीडैंस मोशन पास नहीं होता, तब तक कैसे लाते।

... (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : आप मुख्य मंत्री बनने से पहले एक-डेढ साल इधर बैठे थे। ... (व्यवधान) उस समय आप भी यही बात कहते थे कि आर्डिनैंस क्यों ला रहे हैं। ... (व्यवधान)

सार्वजनिक क्षेत्र का कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट की जजमैंट के कारण इस चुनाव में रिक्वीजिशन नहीं कर सका। थोड़ी दिक्कत हुई। लेकिन हम ऐसा पीसमील लैजिसलेशन नहीं चाहते, हम कम्प्रीहैनसिव चाहते हैं, हाउस में इलैक्टोरल रिफार्मस लैजिसलेशन आ जाए। सब पोलीटिकल पार्टीज की एक मीटिंग हो गई थी।

... (व्यवधान)

हम कई साल से सुनते आ रहे हैं दिनेश गोस्वामी कमेटी, उनका रिकमैंडेशन, मनी पावर, मसल पावर, कैसे रिडयूस कर सकेंगे, इलैक्टोरल रिफार्मस के बारे में एक साथ कम्प्रीहैनसिव लैजिसलेशन आना चाहिए। यही हमारी मांग है। जितनी जल्दी हो सके, इस तरह का एक विधेयक सदन में आना चाहिए। हम इसका विरोध

नहीं करते। यह आर्डिनैंस संयुक्त मोर्चा की सरकार लाई थी। आपको फिर इस आर्डिनैंस को लागू करने की जरूरत पड़ी। हम इसका विरोध नहीं करते लेकिन फिर इस तरह का आर्डिनैंस लागू करने का हम विरोध करते हैं।

... (व्यवधान)

सभापति महोदय : बीच में टोका-टोकी मत कीजिए, इससे बहुत समय बर्बाद होता है।

श्री बसुदेव आचार्य : सरकार का यह काम गलत है, भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। यही कहते हुए मैं अपने स्टैटूटरी रैजोलूशन को मूव करता हूं

">THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS AND MINISTER OF SURFACE TRANSPORT (DR. M. THAMBI DURAI): Madam, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Representation of the People Act, 1951, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

Under clause (6) of Article 324 of the Constitution, the President or the Governor of a State is required to make available to the Election Commission such staff, as may be necessary, for the discharge of his function. Further, under section 159 of the Representation of the People Act, 1951, the employees of the local authorities can be requisitioned for election duties.

Though under statutory provisions, apart from Government employees, only employees of local bodies could be requisitioned for election duties, upto February 1995, employees of banks, public sector undertakings and statutory bodies aided by the Government were requisitioned for election duties. Some time back, the State Bank of India Staff Association, Patna, and others and Northern Zone Insurance Employees Association, Rajasthan, challenged requisitioning of services of bank and insurance employees for election duties and the hon. Supreme Court of India vide its Judgment dated 7.2.1995 held that, as per statutory provisions, only services of Government employees and employees of local authorities can be requisitioned for election duties and, accordingly, the employees of the bank and insurance cannot be requisitioned for election duties.

In view of the aforesaid Judgment of the hon. Supreme Court, the Election Commission of India was facing great difficulty in deploying requisite number of employees for election duties especially as a very large number of employees are drafted and deployed on election duties as Presiding officers, Polling Officers, Counting Officials etc. An idea about the enormity of the requirements of staff for general elections to the House of the People can be had from the fact that to man nearly eight lakh polling stations in the recently concluded Lok Sabha elections, around 40 lakh polling personnel were needed.

The Election Commission of India, accordingly, requested that section 159 of the Representation of the People Act, 1951 may be amended to provide that, in addition to local authorities, all public sector undertakings of the Central Government and State Governments, all statutory and non-statutory bodies aided by the Government, all universities and all other educational institutions aided by the Government should also make their staff available for election duties.

In the wake of general elections to the Twelfth Lok Sabha, the President promulgated an Ordinance, namely, the Representation of the People (Amendment) Ordinance, 1997 on 23rd December, 1997 to provide for requisitioning of services for election work of employees of, apart from local authorities, every university and any other institution, concern or undertaking controlled, or financed wholly or substantially by funds provided, directly or indirectly, by the Central Government or a State Government. The employees of statutory bodies and companies were, however, exempted by the Ordinance from being requisitioned for election duties. The aforesaid Ordinance was re-promulgated on the 24th April, 1998 to give continued effect to the provisions of the aforesaid 1997 Ordinance and to avoid any difficulty to the Election Commission in holding elections in the interregnum.

The Government have since decided that, apart from the categories of employees brought under the ambit of section 159 of the Representation of the People Act, 1951 by the aforesaid Ordinance, employees of public

sector enterprises, etc., should also be brought under the ambit of that section so as to ensure easy availability of staff for election duties at all places. This would also avoid unnecessary burden on any organisation to spare a large number of its employees for election duties.

I am sure that hon. Members would agree with me that the measures proposed in the Bill are necessary to ensure deployment of requisite number of staff for election duties and I am confident that the Bill would receive support from all sections of the House.

I commend the Bill for consideration of the House.

MR. CHAIRMAN : Motions moved:

"That this House disapproves of the Representation of the People (Amendment) Ordinance, 1998 (No. 12 of 1998) promulgated by the President on 24 April, 1998."

"That the Bill further to amend the Representation of the People Act, 1951, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

">

श्री सुशील कुमार शिंदे (शोलापुर): महोदया, मैं सरकार का इस बिल के लिए स्वागत करता हूं, लेकिन मुझे यह भी दुख होता है कि दो बार आर्डिनेंस लाया गया।

मेरे दिल में एक शंका पैदा होती है कि जो ">

मुझे एक ही बात इसपर कहनी है कि यह अच्छी बात होगी कि इलैक्शन कमीशन ने जो कठिनाई थी, उसके लिए आप इलैक्शन कमीशन को सहयोग दे रहे हैं, लेकिन यह भी देखना होगा कि एन.जी.ओज़. या आपने कहा कि स्टेचुटरी और नॉन स्टेचुटरी, एडेड जो संस्थाएं हैं, इनकी सर्विसेज आप काम में ले रहे हैं, लेकिन शंका इस बात की है और डर भी पैदा होता है कि कभी-कभी माइट इज़ राइट, ये एन.जी.ओ., एडेड इंस्टीटयूशन हैं, इन संस्थाओं के इलैक्शन के काम के लिए जो लोग लिए जाएंगे, उसमें इसका उपयोग हो सकता है, क्योंकि एकाध विशेषतः कोआपरेटिव इंस्टीटयूशन हो और उसी क्षेत्र में इलैक्शन लागू हो या कोई एन.जी.ओ. हो और उसी एक क्षेत्र में या गांव में या डिवीजन में या डिसट्रिक्ट में यदि इलैक्शन हो तो वहीं यदि उनका उपयोग करना हो तो एक पोलिटिकल अनडयू इन्फ्ल्यूएंस वहां हो सकता है। इसलिए मैं सरकार को विनती करूंगा कि इसमें सब-सैक्शन बनाकर या सब-क्लाज़ बनाकर इसमें यह दिशा भी आपको देनी होगी कि इलैक्शन कमीशन यह केयरफुली देख लें ताकि वहां अनडयू इन्फ्ल्यूएंस न आ जाये और फेयर इलैक्शन होने के लिए यह तरद्दुद उसमें होना बहुत जरूरी है।

ज्यादा समय नहीं है, इसके लिए मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन फिर भी मैं इसका समर्थन करता हूं। एक अच्छी बात आपने कही, रिजर्वेशन के बारे में हम हमेशा जो कहते हैं कि एडेड, नॉन एडेड और गवर्नमेंट एडेड विशेषतः जो भी संस्थाएं हैं, जैसे कि कोआपरेटिव हो, शुगर फैक्टरीज़ हों, एसी जगह भी रिज र्वेशन के लिए इस तरह का प्रावधान करना चाहिए, ऐसा बार-बार इस सदन में हम कहते हैं। मैं समझता हूं कि यह नई-नई सरकार है, बड़ी प्रोग्रेसिव है। एक अच्छा कानून में एमेंडमेंट लाई है।

... (व्यवधान)

मैं इसी के लिए आया हूं, अगली बार जब बजट पर बोलूंगा तो सरकार कितनी अच्छी है, यह बताऊंगा, लेकिन इस सरकार को एक विनती करूंगा कि इसी तरह रिजर्वेशन के लिए भी कुछ करें।

... (व्यवधान)

नहीं, पूरा समर्थन है। जो अच्छा काम करते हो, उसके लिए पूरा समर्थन है। जहां हमारे आचार्य जी समर्थन कर रहे हैं, जो हमेशा अपोज़ करने वाले हैं, हम तो अच्छे काम के लिए समर्थन करते हैं। श्री बसुदेव आचार्य : यह हमारी सरकार का था।

श्री सुशील कुमार शिंदे : यह चुनाव आयोग के लिए अच्छा काम किया है, हम इसका समर्थन करते हैं।

">

श्री खारबेल स्वाई (बालासोर): महोदया, मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है।

फरवरी, १९९५ में सुप्रीम कोर्ट ने एक राय दी थी। इस राय में यह दिया गया था कि चुनाव के काम में शुरू सरकारी कर्मचारी या लोकल बॉडी के जो कर्मचारी हैं, वे सिर्फ निर्वाचन के काम में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह जो राय दी थी इससे निर्वाचन कमिश्नर को परेशानी में डाल दिया । इसलिए डाल दिया कि जब चुनाव होते हैं तो निर्वाचन कमिश्नर को नौ लाख निर्वाचन केन्द्रों को मैनेज करना पड़ता है, इसीलिए उनको ४५ लाख कर्मचारियों की जरूरत है। इतने कर्मचारी कहां से लाये। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाइये, जिले में चुनाव में आप देखेंगे कि जिले में इसकी परिचालना करने के लिए जितने आदमियों की जरूरत है, उतने आदमी वहां नहीं होते। तो क्या निर्वाचन कमिश्नर निर्वाचन के काम को बन्द कर दे? मैं पहले सरकारी कर्मचारी था, मुझे याद है, सरकारी लोग, आफिसर लोग यहां बैठे हैं, वे जानते हैं। जो लोग चुनाव में जाते हैं, वे अपनी खुशी से नहीं जाते। यह छुट्टी का समय है। तब किसी को बुखार आ जाता है, कोई सिक लीव ले लेता है और कोई जाकर पोलिटिकल लोगों के या किसी ब्यूरोक्रेट के चक्कर काटता है कि मेरा नाम जरा कटवा दीजिए। यह सब होता है, वे लोग हर तरह का बहाना बनाते हैं।

मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि मैं जब १९८३ में सैण्ट्रल गवर्नमेंट में सीनियर क्लास वन आफिसर था, तब मुझे भी चुनाव की परिचालना करने के लिए असम भेजा गया था । मेरे साथ जो दोस्त थे, जब उन्होंने सुना कि उन्हें असम भेजा गया है तो अधिकांश लोगों ने तो उस समय रोना शुरू कर दिया। तब एस.टी.डी. फैसिलिटी नहीं थी तो उन्होंने मद्रास, मुंबई टेलीफोन बुक करवाया, कहने लगे मम्मी, डैडी, मैं असम जा रहा हूं, मेरे बारे में सोचना, मैं जा रहा हूं और मैं कब लौटूंगा, उसका कोई ठिकाना नहीं है। वे ऐसा बोलने लगे और उन्होंने रोना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा कि हम जिंदा लौटेंगे या नहीं, ऐसा वे बोले। मैं आपसे कह रहा हूं कि यह प्लीजेंट एक्सपीरिएंस नहीं है। वहां कोई मर भी सकता है। मैं जानता हूं, अगर कोई असम में जाये, पंजाब में अगर कभी इलैक्शन में चला जाये और कहीं भी आप चले जायें, मिजोरम चले जायें तो मरने की अधिकांश गुंजाइश होती है । यह सम्भव होता है।

डा. शकील अहमद (मधुबनी) : ये चुनाव में गये थे, इसीलिए ये भाग आये थे।

श्री खारबेल स्वाई (बालासोर): मैं नहीं भागा था, मैं वहां गया था। मैं मरने वाला था, मैं वहां से मरते-मरते बचकर आया हूं। असम से मैं बचकर आया हूं। इसीलिए मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ठीक है, किसी को तो

Somebody will have to bell the cat.

कोई तो जाएगा न। इसीलिए सरकार जो यह आर्डिनेंस लाई है, इसका विरोध करने का मैं कुछ कारण नहीं देख पा रहा हूं। सिर्फ टैक्नीकल ग्राउण्ड पर अपोज़ करना, मैं इसको ठीक नहीं मानता हूं। मेरा यह कहना है कि जो ४५ लाख कर्मचारी मिलने का अभी कोई चांस नहीं है, इसलिए यह जो आर्डिनेंस लाया गया है

... (व्यवधान)

एक मिनट में मैं आपको बोलना चाहता हूं कि निर्वाचन कमिश्नर ने इस बारे में दूसरी जितनी पार्टीज़ हैं, उनके साथ बात की थी और इलैक्शन रिफोर्मस के लिए भी दिया था। ... (व्यवधान) कालिता जी, मेरे बोलने के बाद आप बोल सकते हैं।

श्री भुवनेश्वर कालिता (गुवाहाटी): देखिये, इस हाउस से गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए।

श्री खारबेल स्वाई: मुझे यही कहना है, आप जरा देखिये।

श्री भुवनेश्वर कालिता : इससे गलत मैसेज चला जायेगा। वहां जो एम्पलाइज काम कर रहे हैं, जो लोग वहां आलरेडी हैं, जो लोग डयूटी करते हैं, उनके लिए गलत मैसेज चला जायेगा। आप जो बोल रहे हैं, इससे गलत मैसेज जायेगा।

Do not underestimate the employees of Assam. This is wrong.

सभापति महोदय : आप बैठिये न।

... (व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाई: मैं गलत मैसेज नहीं दे रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र सिंह (भिवानी): यह बात तो उन कर्मचारियों पर लागू है, जो कमजोर हैं और डरते हैं।

... (व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाई : इसलिए इन्होंने आर्डिनेंस लाकर ठीक किया है। यह प्रपोजल तो चुनाव कमिश्नर ने रखा है, सरकार ने नहीं, आप इसको अपोज़ कर रहे हैं, इसके माने कि आप इलैक्शन कमिश्नर को अपोज़ कर रहे हैं। मैं आपको यह कहना चाहता हूं ... (व्यवधान)

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री भुवनेश्वर कालिता : यह जो आप बोल रहे हैं, यह आपका पर्सनल एक्सपीरिएंस है, आप असम के एम्पलाइज़ को क्या मैसेज दे रहे हैं?

... (व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईः मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और अपोजीशन के, प्रतिपक्ष के जितने लोग हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि वे अपने एमेंडमेंट वापस लें और इसको समर्थन दें।

SHRI BHUBANESWAR KALITA: This should be expunged from the proceedings. He has no business to talk about his personal experience.

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record other than the hon. Minister's speech.

(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: Shri Kalitha, I have not permitted you to speak. Please sit down. It is just not possible to run the House like this.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing except the hon. Minister's speech will go into the record.

(Interruptions) *

MR. CHAIRMAN: Mr. Minister, you may please begin your reply. Enough is enough. Please sit down. When I am on my legs, you should sit down.

... (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA : Madam, you will have to allow Shri Nikhilananda Sar to speak.

MR. CHAIRMAN: Mr. Minister, I think, you will have to wait for a couple of minutes. I will allow Shri Nikhilananda Sar.

---

*Not Recorded.

">SHRI NIKHILANANDA SAR (BURDWAN): Madam Chairperson, I stand here to support the Representation of the People (Amendment) Bill, 1998 initiated by the hon. Minister of Law and Justice with some reservations.

As we all know, it is intended to give a new shape, to replace the Ordinance promulgated twice. But why had the Ordinance to be promulgated? It was simply to ensure fairness in the election process.

Many elections have been held since 1952 and there was no dearth of polling personnel. In a democracy elections are a must; elections are a part and parcel of democracy. The electorate should be satisfied with the fairness of the elections. The parties contesting elections should act in such a manner that the people can express their views freely. I am sorry that that sort of an atmosphere is almost absent. Now, money and muscle power, opportunistic groupings, caste and religious sentiments attached to political parties and evil misuse and

misinterpretation of anti-defection laws vitiate the democratic spirit of the people at large. Members of legislative bodies have turned into saleable commodities. We have seen many aya Rams and gaya So, to make the democracy successful piecemeal legislation like issuing of Ordinances is not enough. We support this Bill. But at the same time I would request the hon. Minister through you that he should enlighten the House about the comprehensive electoral reforms as to whether he is going to place it before this august House or not. People who have gone to the Supreme Court have not taken it in right earnest and due to this, they tried to avoid taking part in the election process. This sentiment should be given due consideration and the Government should come forward with proper legislative measures for presenting comprehensive electoral reforms as early as possible.

Hence, I would request the hon. Minister he should come forward with this Bill in the near future. With these words I support this Bill.

Thank you.

(ends)

श्री मोहन सिंह : सभापति महोदय, मुझे दो मिनट का समय दिया जाए। विधेयक में सभी दलों की राय होनी चाहिए।

सभापति महोदय : मोहन सिंह जी, आप हमेशा ही बोलते हैं।

... (व्यवधान)

श्री मोहन सिंह : महोदय, हम इलैक्शन कमेटी में भी नहीं है। हमारी पार्टी उस कमेटी से हटा दी गई है और यहां सदन में भी राय लेने के लिए तैयार नहीं है। मैं चाहता हूं कि दो मिनट का समय दे दीजिए।

... (व्यवधान)

सभापति महोदय : हम राय लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि एक राय के साथ पच्चीस राय और आ जायेंगी।

... (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): मान्यता प्राप्त करिए।

... (व्यवधान)

श्री मोहन सिंह : कमेटी में भी हमारी पार्टी नहीं है।

... (व्यवधान)

इस बिल का विरोध नहीं है। हमारे कुछ साथियों में गलतफहमी पैदा हो रही है कि हम इस बिल के विरोध में है। हम विरोध नहीं कर रह रहे हैं। ऐसी बात नहीं है।

... (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त करिए।

">

श्री मोहन सिंह : महोदय, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आपने चुनाव सुधार के लिए एक मुकम्मिल विधेयक प्रस्तुत करने के लिए कमेटी बनाई है। मैं खुराना साहब जी से शिकायत के साथ कहना चाहता हूं कि उस कमेटी में हमारी पार्टी के नेतृत्व को आपने नहीं लिया है, इसलिए हमारी यह मजबूरी है कि हम कुछ बातें रखें। हम चाहेंगे कि आप उन पर विचार करें।

दूसरी बात, इलैक्शन में जनता अधिक से अधिक भागीदार हो। इसके लिए अधिक से अधिक पोलिंग स्टेशन्स बनने चाहिए। जिन गांवों में ५०० से वोटर कम से कम हों, वहां जरूर पोलिंग स्टेशन हों। जब आप पोलिंग स्टेशन अधिक बनायेंगे, तो आपको अधिक से अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। उस दृष्टि से यह विधेयक बहुत ही जरूरी था, क्योंकि कर्मचारियों की संख्या निरन्तर घट रही है और जब कर्मचारियों की संख्या निरन्तर घट रही है, तो पोलिंग स्टेशन की संख्या बढ़ानी चाहिए। स्टेशन्स पर काम करने के लिए विश्वविद्यालय, डिग्री कालेज, राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार और पब्लिक अंडरटेकिंग्स के कर्मचारियों का होना बहुत जरूरी है। इस दृष्टि से यह विधेयक बहुत उचित है और स्वागतयोग्य है, लेकिन अलग विधेयक रखने से और आधे हिस्से को न जोड़ने से ि वसंगतियां पैदा होंगी। इसलिए जो कार्मप्रहैंसिव विधेयक आने वाला था, उसको लेकर आना चाहिए था, तो ज्यादा ठीक होता।

इन शब्दों के साथ इस विधेयक का समर्थन करता हूं, इस सुझाव के साथ हमारी पार्टी उस समिति में शामिल हो। धन्यवाद.

">

श्री रामदास आठवले (मुम्बई उत्तर-मध्य) : महोदय, हमारी पार्टी की तरफ से हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं। चुनाव लोकतन्त्र का हृदय है, इसलिए चुनाव सही तरीके से होने चाहिए और रूल्स तथा रेग्युलेशन्स के अनुसार होने चाहिए। चुनाव सम्पूर्ण करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को जो जिम्मेदारी दे दी जाती है, उसको उन्हें स्वीकार करना चाहिए।

18.00 hrs.

अगर कोई अधिकारी वहां डयूटी देने के बाद बोलता है कि मैं इधर नहीं जाऊंगा, उधर नहीं जाऊंगा तो उस अधिकारी पर बंधन लगाने के लिए आप यह जो बिल लाए हैं, यह बहुत इम्पोरटेंट है। मगर सरकार को उस अधिकारी के जीवन और उसके बाल-बच्चों की भी चिन्ता अवश्य करनी चाहिए। अगर किसी अधिकारी पर कोई अटेक होता है, कोई ऐसा मामला आ जाता है तो उसके लिए उसके इंश्योरेंस के संबंध में सरकार को इस बिल में विचार करना चाहिए। मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि इस संबंध में आप विचार करिए। ... (व्यवधान)

सभापति महोदयः आपकी पार्टी से माननीय सदस्य बोल चुके हैं।

अब आप बैठ जाइए और मंत्री जी की बात को सुनिए।

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS AND MINISTER OF SURFACE TRANSPORT (DR. M. THAMBI DURAI): Madam, I thank all the hon. Members who have made valuable suggestions during the course of discussion of this Bill.

Shri Basu Deb Acharia was concerned about the way the Ordinance was promulgated by the Government; he has some kind of an apprehension. I would like to tell that that was not the intention of this Government in promulgating Ordinances and create such a situation.

Actually, this Ordinance was promulgated at the request of the Election Commission because they wanted some personnel since the Commission had to conduct the 12th Lok Sabha elections. For that purpose only, the Ordinance was promulgated. This is our limited purpose in promulgating that Ordinance.

As the hon. Members suggested, this government is committed to bring forward a comprehensive Electoral Reforms Bill soon. For that purpose, we had already conducted an all-party leaders' meeting and in that meeting, it was decided to appoint a committee. So, a Committee was also appointed under the leadership of Shri Indrajit Gupta. I think, within a period of three months, they would submit certain suggestions. After taking those suggestions, we would bring forward a comprehensive Electoral Reforms Bill.

Shri Sushil Kumar Shinde suggested certain things about the cooperative sector and expressed some reservation also. We will consider those things when we bring forward the comprehensive Electoral Reforms Bill.

When Shri Kharabela Swain was speaking about the security aspect said that the officers who are going for election duty fear for their lives. If that is the case, we will request the State Governments to give necessary protection and security for those who are taking up that kind of an electoral work.

I think, most of the hon. Members have accepted the necessity of this Bill and supported the Bill also. In view of this, I would request Shri Basu Deb Acharia to withdraw his Statutory Resolution and allow the Bill to be

passed.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Madam, in view of the assurance given by the Minister of Law regarding the comprehensive legislation on electoral reforms which is now overdue, I withdraw the Statutory Resolution.

MR. CHAIRMAN : Has the hon. Member leave of the House to withdraw his Resolution?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

The Resolution was, by leave, withdrawn.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill further to amend the Representation of the People Act, 1951, as passed by the Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: The House shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

MR. CHAIRMAN: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 and 3

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That Clauses 2 and 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That clause 1, The Enacting Formla and the Long Title

stand Part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

DR. M. THAMBI DURAI: I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

_____